ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ. 3 (1) (7) / I / निर्वा / 2013 / 9057   जयपुर, दिनांक 18/11/13

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), राजस्थान ।

विषयः– **विधानसभा आम चुनाव 2013 – मतदाता फोटो पहचान पत्र बाबत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के क्रम में।**

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3 / 4 / आईडी / 2013 / एसडीआर / (आरजे) / 881 दिनांक 12 नवम्बर, 2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रसांगिक पत्र क्रमांक 881 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 का अवलोकन करें। (प्रति संलग्न है) भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र के साथ आयोग द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को जारी आदेश की प्रति भी संलग्न की है जिसके आधार पर आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान के समय मतदाता की मतदान केन्द्र पर पहचान स्थापित की जाएगी।

2. भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त आदेशों में निर्देशित किया है कि राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस के दिन मतदाता को अपना वोट डालते समय अपना **मतदाता फोटो पहचान पत्र** प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित करवानी होगी। ऐसे मतदाता जिनके पास **मतदाता फोटो पहचान पत्र** नहीं है उनके द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा जारी **"प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप"** अपनी पहचान हेतु मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करनी होगी।

3. उपरोक्त पैरा में वर्णित **मतदाता फोटो पहचान पत्र** अथवा **"प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप"** नहीं होने की स्थिति में मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकृत अधिकारी से **"प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप"** प्राप्त की जायेगी, जिसकी जानकारी समय–समय पर मतदान दल में लाईन बनाने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी द्वारा दी जायेगी। इसके साथ–साथ मतदान केन्द्र पर सदृश्य स्थान पर इस विषय में मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु पोस्टर आदि भी मुद्रित करवाकर लगवाये जाने के निर्देश है। इस क्रम में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि डुप्लीकेट फोटो वोटर स्लीप उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अधिकारी को अधिकृत किया जाए जो कि

मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की कतार के पास अपनी डेस्क स्थापित करेगा तथा सम्पूर्ण समय डेस्क पर उपलब्ध रहेगा जिससे कि इस प्रकार के मतदाताओं को वोटर स्लीप तुरन्त उपलब्ध करायी जा सके। राज्य के संदर्भ में इस विषय में बी.एल.ओ. को अधिकृत किया गया है।

4. इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में आयोग के यह भी निर्देश है कि मतदान केन्द्र पर समय–समय पर कतार में मतदाताओं को वोटर स्लीप प्राप्त करने की जानकारी दी जाए। समय–समय पर यह भी घोषणा की जाए कि कोई पंजीकृत मतदाता अपने साथ फोटोयुक्त वोटर पर्ची नहीं लाये है तो वह मतदान केन्द्र पर उपस्थित अधिकृत अधिकारी की डेस्क पर जाकर वोटर स्लीप प्राप्त कर लें।

5. आदेशों में यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे मतदाता जिनके पास **मतदाता फोटो पहचान पत्र** उपलब्ध नहीं है अथवा फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं है या किसी कारणवश फोटो से मिलान नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह आयोग के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 में उल्लेखित फोटोयुक्त दस्तावेज, वोटर स्लीप के साथ प्रस्तुत कर सकते है जिससे कि उनकी मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जा सके।

6. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की प्रति सभी रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में तुरन्त लायी जाए तथा स्थानीय स्तर पर प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक मिडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाये। इस विषय में प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल के सदस्यों को विस्तृत रूप से बताया जाये। आयोग ने इस विषय में यह भी निर्देशित किया है कि **उक्त आदेशों की जानकारी चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित में दी जाये।** कृपया उक्त निर्देश की सख्ती से पालना की जाए।

7. भारत निर्वाचन आयोग के प्रसांगिक पत्र के पैरा 4 का अवलोकन करें। आयोग द्वारा निर्देशित किया है कि **"मतदाता रजिस्टर"** (17 क) में निर्धारित कॉलम में जिस दस्तावेज से मतदाता की पहचान की गई है उसके विषय में यथास्थिति सूचना अंकित की जाए। वर्तमान निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यदि मतदाता की पहचान **मतदाता फोटो पहचान पत्र** अथवा प्रमाणित वोटर स्लीप से की जा रही है तो तद्नुसार **ईपी** (मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु) या **वी.एस.** (वोटर स्लीप) अंकित किया जाए। ऐसी स्थिति में **मतदाता फोटो पहचान पत्र** के कमांक अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता जो कि वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करवायेंगे, उनके विषय में **"मतदाता रजिस्टर"** में फोटोयुक्त दस्तावेज में जो कमांक है उसके अंतिम 4 अंक अंकित करे। कृपया आयोग के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक रूप से अवगत कराया जाये।

8. आयोग के निर्देशानुसार इस कम में मतदाताओं की जानकारी हेतु पोस्टर भी विभाग स्तर पर मुद्रित करवाकर यथाशीघ्र आपको उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों को अविलम्ब रिटर्निंग अधिकारियों / चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों / राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के माध्यम से सभी के ध्यान में लाया जाये तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

17/11

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचंन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

M-Dar
ee 14/11/13

SPEED POST

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

No. 3/4/ID/2013/SDR(RJ)) 881 Dated:12th November, 2013.

To

The Chief Electoral Officer
Rajasthan,
Jaipur.

Subject:- General Election to the State Legislative Assembly of Rajasthan-Commission's Order regarding use of Electors Photo Identity Card.

Sir,

I am directed to enclose herewith Order dated 12th November, 2013, regarding identification of electors at the current general election to Rajasthan Legislative Assembly notified on 5-11-2013,.

The Commission has directed that all electors in each of the 200 Assembly Constituencies in Rajasthan, who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Electors who do not have EPIC shall have to produce the 'Authenticated Photo Voter Slip' issued by the election machinery for identification in the polling stations. If any elector who has been issued EPIC fails to produce his/her EPIC or the Authenticated Photo Voter Slip then such elector shall collect the duplicate photo voter slip from an officer positioned outside the polling station with an additional copy of Authenticated Photo Voter Slips of all electors for this purpose. It shall be ensured that the officer with the duplicate copy of the Voter Slip sits at a desk set up near the Queue of the voters. The official managing the Queue should be briefed in advance to inform the voters in the Queue about the counter for duplicate Authenticated Photo Voter Slip so that those who need to collect the duplicate copy are able to do so before they enter the polling booth. Frequent announcement should be made near the queue that no alternate identity document is allowed for those voters whose photo is available in the electoral roll, as if such voters have not brought their EPIC or Authenticated Photo Voter Slip, they should collect a duplicate copy of the Authenticated Photo Voter Slip outside the polling station itself. Posters containing this information in the local language should also be put at places

which are easily visible from the queue. This order of the Commission should also be given wide publicity before the polls by all media channels.

In the case of those whose photograph is not available in the Electoral Roll or whose does not match, they shall have to produce any of the alternative photo documents mentioned in the Order along with the Voter Slip for establishing their identity. The overseas electors shall have to produce their original passport only for identification.

2. The Order may be brought to the notice of the Returning Officers and all Presiding Officers of the said constituencies.

3. The Commission's Order dated 12th November, 2013, may be got published in the state Gazette immediately. This Order may be given wide publicity through print/electronic media for information of the general public and electors. All contesting candidates at the said general election may also be informed, in writing, of this direction of the Commission.

4. Your attention is also invited to the commission's instructions that in the Remarks column of form 17A (Register of Voters) the last four digits of the Identification document should be mentioned. In the case of electors voting on the basis of the EPIC and Authenticated Photo voter Slip, it is clarified that it is sufficient that the letters 'EP' (denoting EPIC) and 'VS' (denoting photo voter slip) respectively is mentioned in the Remarks column, and it is not necessary to write down the number of the EPIC or the Photo Voter Slip. However, in the case of those who vote on the basis of the alternative documents, the instructions to note down the last four digits of the document shall continue to apply. The type of the document produced should also be mentioned therein.

4. The Returning Officers shall be instructed to note the implications of this Order and explain the contents thereof to all Presiding Officers through special briefings. They should also ensure that a copy of this letter is available with the Presiding Officers at all polling stations / booths in the constituency.

5. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours faithfully,

(N.T. Bhutia)
Under Secretary

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/2013/SDR(RJ) Dated :12th November, 2013.

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card has been issued to more than 99% of the registered electors in the State of Rajasthan; and

7. Whereas, the Commission has revised the format of the electoral roll in the State of Rajasthan to incorporate the photo of the elector alongside the other particulars of the elector and the photo electoral roll with photos of 99.27% registered electors will be used during the current general election to the Legislative Assembly of Rajasthan; and

8. Whereas, the Commission has further directed preparation of **'Authenticated Photo Voters Slip'** from the database of photo electoral roll and to distribute these 'Authenticated Photo Voters Slips' to the electors before the date of poll for the current general election to the Legislative Assembly of Rajasthan for identification at the polling station on the day of poll;

9. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the general election to the Rajasthan Legislative Assembly notified on 5-11-2013 -

a. All electors in each of the 200 Assembly Constituencies in the State, who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes;

b. Electors who, for some reason, are not able to produce EPIC issued to them, and those who have not yet been issued EPIC shall have to produce the 'Authenticated Photo Voter Slip' issued by the election machinery for their identification;

c. For this purpose, Authenticated Photo Voter Slips shall be distributed to all electors, whose photos are available in the electoral roll, a few days before the poll day;

d. Returning Officer shall put one officer on duty outside each polling station, during polling hours, with an additional copy of the Authenticated Photo Voter Slips, so that any elector who has not brought his/her Authenticated Photo Voter Slip to the polling station, can collect a copy of his Authenticated Photo Voter Slip outside the polling stations;

e. If any elector who has been issued EPIC fails to produce his/her EPIC or the Authenticated Photo Voter Slip, then such elector shall collect the duplicate photo voter slip from the officer outside the polling station as given in (d) above and produce the same.

f. Those electors who have not yet been issued EPIC or whose photograph is not available in the Electoral Roll or whose photograph does not match, shall have to produce any of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

i. Passport
ii. Driving License
iii. Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies
iv. Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office
v. Pan Card
vi. Aadhar Card
vii. Smart Card issued by RGI under NPR
viii. MNREGA Job Card
ix. Health Insurance Smart Card issued under the scheme of M/o Labour
x. Pension document with photograph.

10. Notwithstanding anything in Para 9 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in thc polling station.

By Order,

(Ashish Chakraborty)
Secretary

Copy to All SLMT's.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली –110001

सं0 3/4/आई डी/2013/एस.डी.आर (राजस्थान) दिनांक : 12.11.2013

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 यह उपबंधित करती है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने के आलोक में, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को मत देने का अधिकार और प्रभावी बनाया जाए, निर्वाचकों को मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र के प्रयोग हेतु उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किए जाएं; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने तथा मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र राज्य के खर्च पर होंगे; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 ज (3) तथा 49 ट (2)(ख) यह निर्दिष्ट करता है कि जहां निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए गए हैं, वहां निर्वाचक को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने या प्रस्तुत करने से मना करने के परिणामस्वरूप उन्हें मत डालने से रोका जा सकता है; और

4. यतः, उक्त अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त उपबंधों के समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि, मतदान का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के विद्यमान होने से ही प्राप्त होता है, फिर भी मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के खर्च पर उपलब्ध कराए गए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र का इस्तेमाल किए जाने पर भी निर्भर करता है, और यह कि दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाना है; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 28 अगस्त, 1993 के आदेश द्वारा सभी निर्वाचकों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने के निदेश दिए थे; तथा

6. यतः, राजस्थान राज्य में 99% से अधिक रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (एपिक) जारी कर दिए गए हैं; और

7. यतः, आयोग ने राजस्थान राज्य में निर्वाचक नामावली के फार्मेट में निर्वाचक के अन्य विवरणों के साथ निर्वाचक के फोटो को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया है; तथा राजस्थान विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के दौरान 99.27% पंजीकृत निर्वाचकों की फोटो युक्त, फोटो निर्वाचक नामावली प्रयोग की जाएंगी; और

8. यतः, इसके अतिरिक्त आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली के डाटाबेस से 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' को तैयार करने तथा इन प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्चियों को मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहचान के लिए राजस्थान विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि से पहले निर्वाचकों में वितरित करने का निदेश दिया है;

9. अतः, अब, सभी सुसंगत तथ्यों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा दिनांक 05.11.2013 को अधिसूचित राजस्थान विधानसभा के साधारण निर्वाचन के लिए, यह निदेश देता है कि:

क. राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के ऐसे सभी निर्वाचकों को, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया है, मतदान केन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करना है;

ख. जो निर्वाचक किसी कारणवश, उन्हें जारी निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, और जिन्हें अभी तक निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र नहीं जारी किया गया है उन्हें अपनी पहचान के लिए, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' प्रस्तुत करनी होगी;

ग. इस उद्देश्य से, ऐसे सभी निर्वाचकों को, जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हैं, उन्हें मतदान के दिन से कुछ दिन पहले 'प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची' वितरित की जाएंगी;

घ. रिटर्निंग अधिकारी मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रमाणीकृत फोटो मतदान पर्चियों की एक अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेगा ताकि यदि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र पर अपना प्रमाणीकृत फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है तो वह अपने प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्रों के बाहर से प्राप्त कर ले;

ड. यदि ऐसा कोई निर्वाचक, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किया गया है, अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र अथवा प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक उपर्युक्त (घ) में यथा–उल्लिखित मतदान केन्द्र के बाहर तैनात अधिकारी से डुप्लीकेट फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा तथा इसे प्रस्तुत करेगा;

(च) जिन निर्वाचकों को अभी तक निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी नहीं किया गया है या जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं हैं या जिनके फोटो का मिलान नहीं होता है उन्हें अपनी

पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पासपोर्ट।

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस।

(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो–युक्त सेवा पहचान–पत्र।

(iv) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटो–युक्त पास बुक।

(v) पैन कार्ड।

(vi) आधार कार्ड।

(vii) एन पी आर के अधीन आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

(viii) मनरेगा जॉब कार्ड

(ix) श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

(x) फोटो–युक्त पेन्शन दस्तावेज।

10. उपरोक्त पैरा 9 में किसी भी बात के होते हुए भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हुए प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा (और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं)।

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चकवर्ती)

सचिव

१०